न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद, स्थान– बस्ती।
मूलवाद सं० 143/2020
राघवराम बनाम लवकुश
C.N.R.No. UPBS120001852020

09.10.2020

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विगत तिथि पर उभयपक्षों को प्रार्थनापत्र कागज सं० 39ग2 पर सुना जा चुका है।

वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 39ग2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर के साथ जो काउन्टरक्लेम प्रस्तुत किया है, वह प्रश्नगत विषयवस्तु के सम्बन्ध में न होकर दूसरी विषयवस्तु के सम्बन्ध में है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा अपने काउन्टरक्लेम में आद्याप्रसाद, उमापति, रमापति को काउन्टरक्लेमकर्ता के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे में पक्षकार नहीं है। साथ ही काउन्टरक्लेम की विषयवस्तु की मालियत बहुत अधिक है और इस न्यायालय की सीमाक्षेत्र के बाहर है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी को पृथक दावा प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु प्रतिवादी ने यह काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी स्थिति में काउन्टरक्लेम का अपवर्जन किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा आपत्ति कागज सं० 41ग2 दाखिल कर कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा जिस भूमि के बाबत दावा दाखिल किया गया है, वह वास्तव में शिकमी नम्बर 129 नहीं है। शिकमी नम्बर 129 दूसरे स्थान पर स्थित है, जिसे काउन्टरक्लेम में अंकित नक्शा नजरी में प्रदर्शित किया गया है। वादग्रस्त भूमि शिकमी नम्बरान 125, 126, 127, 128, 130, 38/1, 39 के स्वामी साधिपत्य आद्याप्रसाद, उमापति व रमापति हैं, परन्तु वादीगण ने जानबूझकर उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है, जिस कारण वाद में पक्षकारों के असंयोजन एवं कुसंयोजन का दोष है। काउन्टरक्लेम में वर्णित भूमि एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ही विवाद है। इसलिए पृथक वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। काउन्टरक्लेम में वर्णित भूमि की मालियत वादबिन्दु विरचना के उपरान्त न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस स्तर पर प्रार्थनापत्र देकर काउन्टरक्लेम के मालियत पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र 39ग2 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत काउन्टरक्लेम के अपवर्जन के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा **प्रथम तर्क** यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत काउन्टरक्लेम प्रश्नगत विषयवस्तु से सम्बन्धित न होकर दूसरे विषयवस्तु के सम्बन्ध में है। वादपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद शिकमी नम्बर 129 के सम्बन्ध में ही स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु दाखिल किया गया है। किन्तु वादीगण द्वारा वादपत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी शिकमी नम्बर 129 व 130 को जबरदस्ती हड़पने की चेष्टा रखते हैं तथा उनके द्वारा उक्त शिकमी नम्बरान पर कब्जा करने तथा उसमें स्थित घारी, चरन को उजाड़ने की धमकी भी दी गयी है। साथ ही प्रतिवादी शिकमी नम्बर 130 में स्थित नाली, जिसमें पूरे गांव का पानी बहता है, जबरदस्ती बन्द कर देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में

काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि वादीगण द्वारा शिकमी नम्बर 129 के सम्बन्ध में जो दावा दाखिल किया गया है, वह वास्तव में शिकमी नम्बर 129 नहीं है, बल्कि शिकमी नम्बर 129 दूसरे स्थान पर स्थित है। इस सम्बन्ध में काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा काउन्टरक्लेम में यह भी कहा गया है कि शिकमी नम्बरान 125, 126, 127, 128, ***130***, 38/1,39 पर काउन्टरक्लेमकर्ता के पिता आद्या प्रसाद एवं चाचा उमापति, रमापति मालिक काबिज दखील चले आ रहे हैं, जिसे उनके द्वारा बैनामा दिनांकित 01.02.1985 द्वारा क्रय किया जाना कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा शिकमी नम्बर 129 को अपना घारी, चरन एवं शिकमी नम्बर 130 को सार्वजनिक नाली होना कहा गया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा शिकमी नम्बर 129 अन्य स्थान पर होना तथा शिकमी नम्बर 130 स्वयं की क्रयशुदा सम्पत्ति होना कहा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में शिकमी नम्बर 129 तथा शिकमी नम्बर 130 का भी विवाद होना परिलक्षित है।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 8 नियम 6A प्रावधानित करता है कि "प्रतिवादी, वादी के दावे के विरूद्ध प्रतिदावे के रूप में किसी ऐसे अधिकार या दावे को, जो वादी के विरूद्ध प्रतिवादी को, वाद दाखिल किए जाने के पूर्व या पश्चात, किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रदत्त किए जाने के लिए परिसीमित समय का अवसान हो जाने के पूर्व, किसी वाद हेतुक के बारे में प्रोद्भुत हुआ हो, उठा सकेगा।'' वादीगण की ओर से बहस के दौरान सन्दर्भित सम्मानित विधि व्यवस्था ***Man Singh Vs. District Judge, Ghazipur and others, 2013 All. C.J. 30*** माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद दाखिल की गयी है। मैंने माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद के तथ्यों पर सम्मानित विधि व्यवस्था लागू नहीं होती। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विषयवस्तु के सन्दर्भ में वादीगण द्वारा उठाए गए आधार तथा तर्क संधार्य नहीं हैं।

काउन्टरक्लेम के अपवर्जन के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा **द्वितीय तर्क** के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि काउन्टरक्लेम में आद्या प्रसाद, उमापति व रमापति को काउन्टरक्लेमकर्ता के रूप में पक्षकार बनाया गया है, जो दावे में पक्षकार नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा आपत्ति करते हुए कहा गया कि शिकमी नम्बरान 125, 126, 127, 128, **130**, 38/1, 39 पर काउन्टरक्लेमकर्ता के पिता आद्या प्रसाद, चाचा उमापति एवं रमापति मालिक काबिज दखील चले आ रहे हैं, परन्तु वादीगण ने उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र कागज सं० 40ग2 के प्रस्तर 10 में इस बारे में आपत्ति भी उठायी गयी है। ऐसे में प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के असंयोजन अथवा कुसंयोजन का दोष विद्यमान है अथवा नहीं, विचारण के दौरान वादबिन्दु के स्तर पर निस्तारित किया जा सकता है। विचारणीय है कि प्रतिवादी द्वारा काउन्टरक्लेम में उल्लिखित सम्पत्ति विक्रय विलेख दिनांकित 01.02.1985 से लिया जाना कहा गया है, जिसे प्रतिवादी के पिता एवं चाचा द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गयी। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि काउन्टरक्लेम के अपवर्जन के सम्बन्ध में वादीगण का द्वितीय तर्क इस स्तर पर संधार्य नहीं है।

काउन्टरक्लेम के अपवर्जन के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा **तृतीय तर्क** के सम्बन्ध में कहा गया है कि काउन्टरक्लेम की विषयवस्तु की मालियत बहुत अधिक है और इस न्यायालय की सीमाक्षेत्र के बाहर है। उक्त के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी द्वारा कहा गया कि मालियत का निर्धारण न्यायालय द्वारा वादबिन्दु विरचना के उपरान्त किया जा सकता है। इस स्तर पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। चूंकि काउन्टरक्लेम एक पृथक वाद है तथा विचारण के समय विवाद्यक विरचित किए जाने के उपरान्त विवाद्यको को गुणदोष पर निस्तारित किया जा सकता है। अतः इस स्तर पर काउन्टरक्लेम में उल्लिखित सम्पत्ति की मालियत अधिक होने के कारण इस न्यायालय को

सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने या न होने के सम्बन्ध में भी कोई आदेश पारित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि काउन्टरक्लेम के अपवर्जन के सम्बन्ध में वादीगण का तृतीय तर्क भी इस स्तर पर संधार्य नहीं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के उपरान्त यह न्यायालय इस अभिमत का है कि वादीगण द्वारा उठाये गए तर्क संधार्य नहीं है। ऐसे में प्रार्थनापत्र 39 ग 2 स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 39 ग 2 निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 39 ग 2 निरस्त किया जाता है। तदनुसार आपत्ति कागज सं० 41 ग 2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 11.11.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती
(J.O.Code UP 2289)

Digitally signed by Atul Kumar Nayak
Date: 2020.10.09 16:40:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court